अनुदान एवं मार्जिन मनी ऋण का योग योजना की लागत के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना : इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को 13.32 वर्ग मी० (मय बरामदा सहित) के क्षेत्रफल में दुकानें निर्मित करायी जाती हैं, जिसकी लागत मैदानी क्षेत्र में 38000/- रुपये है। दुकानों का निर्माण व्यावसायिक रूप से विकसित स्थल पर ही जहाँ लाभार्थी के पास स्वयं की अपनी निजी भूमि उपलब्ध हो, लाभार्थी द्वारा कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को योजना लागत का 50% अथवा 6000/- जो भी कम हो अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि निगम द्वारा ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी वसूली 10 वर्षों में समान मासिक किस्तो मे की जाती है। चयनित लाभार्थियों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जायेगा। दुकान पूर्ण होने पर निगम की स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का भी प्राविधान है।

3. नि:शुल्क बोरिंग योजना : नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले मैदानी क्षेत्र के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। इसमें अनुदान की अधिकतम सीमा 6000/- रुपये है।

इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्डो से प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं। बोरिंग का कार्य स्थानीय एजेन्सी जैसे यूपी, स्टेट एग्रो, लघुसिंचाई या किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का चयन कर किया जाता है।

4. वाहन योजनाएँ

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) नई दिल्ली के सहयोग से इस निगम द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हैं।

1. अम्बेस्डर डीजल कार नोवा (फेस-2)
2. मारूति ओमनी वैन (फेस-2)
3. ट्रैक्टर ट्राली (फेस-2)
4. महेन्द्र जीप, कमाण्डर माडल हार्ड टाप (फेस-4)

पात्रता :-

1. लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2. लाभार्थी कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो।
3. अनुविनि योजनान्तर्गत पास लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के दुगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि यदि जनपद में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हों तो उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाय।
4. अनुविनि ऋण रु० 5-00 लाख तक की योजनाओं में 7% तथा 5-00 लाख से ऊपर तक की योजनाओं में 9% ब्याज देय होगा। मार्जिन मनी ऋण पर 4% ब्याज देय होगा।
5. अनुविनि योजनान्तर्गत योजना लागत के आधार पर निम्न प्रकार लाभार्थी अंश प्राप्त किया जायेगा।

अ.	रु० 1.00 लाख तक की योजनाओं में	शून्य
ब.	रु 1.00 लाख से ऊपर रु 2.50 लाख लागत की योजनाओं में	2 प्रतिशत
स.	रु० 2.50 लाख से ऊपर रु० 5.00 लाख लागत की योजनाओं में	3 प्रतिशत
द.	रु० 5.00 लाख से ऊपर की लागत की योजनाओं में	5 प्रतिशत

6. ऋण की वसूली चेक निर्गत होने की तिथि से 1 माह बाद 60 किश्तों में की जाएगी।
7. इस योजना के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थी के चयन आदि हेतु जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी।

अ.	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
ब.	जिला प्रबन्धक अनु० जाति वित्त निगम	सदस्य
स.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिध सदस्य	
द.	सहायक प्रबन्धक अनु० जा० वित्त नगम	सदस्य/सचिव

5. सेनेटरी मार्ट योजना

1. पृष्ठ भूमि : शुष्क शौचालयों में मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा से सम्बद्ध स्वच्छकारों को मुक्ति दिलाने हेतु शासन द्वारा सेनेटरी